न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद /2021 (2021/509)

1 रंगलाल पुत्र श्री छीतर गुर्जर।
2 रामदेव पुत्र श्री छीतर गुर्जर।
निवासी पीपलाज तहसील सावर जिला अजमेर।

—— वादीगण

♠ बनाम ♠

1 छोटी पुत्री श्री देवा गुर्जर जाति गुर्जर।
2 वाली पुत्री श्री देवा गुर्जर जाति गुर्जर।
3 भंवरलाल पुत्र देवा गुर्जर जाति गुर्जर।
सभी निवासीगण ग्राम पीपलाज तहसील सावर जिला अजमेर।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सावर जिला अजमेर।
5 राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक महोदय सावर जिला अजमेर।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित –
1 श्री हेमराज कानावत –वादी अधिवक्ता
2 पैरोकार सरकार – तहसीलदार सावर

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136भू–राजस्व अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक 25.7.2022

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। कि निम्नलिखित आराजीयात वाके ग्राम पीपलाज तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
[redacted]–785	122–368	0.99	बारानी–1

उक्त वाद वर्णित आराजी को प्रतिवादीगण के पिता देवा पुत्र श्री किशन गुर्जर एवं प्रतिवादी स. 3 भंवरलाल उर्फ भूरा पुत्र देवा गुर्जर निवासी पीपलाज ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.05.1979 को क्रेता गोकल पुत्र बालू जाति दरोगा निवासी पीपलाज को बेचान कर दी थी, उसके पश्चात् क्रेता गोकुल पुत्र बालू ने वाद वर्णित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय तारीख 16.01.1985 को वादीगण को बेचान कर दी है तथा विक्रय पत्र के अनुरूप वादलीगण के नाम नामान्तकरण सं. 28/15.07.1985 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वर्किंग संवत् 2041 में वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्त अंकन हो गया था एवं मौके पर भौतिक रूप से वादीगण का ही कब्जा, काश्त चला आ रहा है। भू प्रबंध विभाग की गलती एवं भूलवश वाद वर्णित आराजी पर पुनः मृतक देवा के वारिसान हरकू बेवा देवा, जयलाल, भंवर, छोटी, वाली, हीरा पिसरान देवा के नाम रिकार्ड में गलत इन्द्राज कर दिया गया था, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व राजस्व वाद सं. 40/2014 निर्णय दिनांक 15.06.2015 को वाद

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

वर्णित आराजी बाबत् वादीगण का वाद डिक्री किया गया है। जिसमें सहवन से हीरा पुत्र देवा का नाम विलोपित नहीं किया गया चूंकि मृतक हीरा नाऔलाद फौत हुआ है एवं रिकार्ड में 1/6 हिस्से पर हीरा पुत्र देवा का नाम गलत अंकन कर दिया गया है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 ने वर्तमान में दिनांक 09.11.2021 को मृतक हीरा 1/6 हिस्सा का विरासत में नामान्तरण सं. 1979/09.11.2021 जानबूझकर अपने नाम स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में पुनः गलत एवं अवैध रूप से इन्द्राज करवा लिया जबकि वाद वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार सम्बन्ध नहीं है। जिससे नामान्तरण सं. 1979/09.11.2021 को प्रभावहीन एवं अवैध घोषित कर निरस्त किया जाकर पूर्व रिकार्ड में हीरा पुत्र देवा का नाम विलोपित करते हुए वादीगण को वाद वर्णित आराजी पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित एवं न्याय हित में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है जिससे वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है । पूर्व डिक्री निर्णय 15.06.2015 में संशोधन बाबत् वादीगण ने माननीय न्यायालय में धारा 152 सपठित धारा 153 (ए) जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है। वाद वर्णित आराजी पर मृतक हीरा पुत्र देवा का नाम विलोपित नहीं होने पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 ने हीरा के स्थान पर विरासत में अपना नाम तारीख 09.11.2021 को जरिये नामान्तरण स्वीकृत करवा लेने के पश्चात् से ही प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 वादीगण के कब्जे, काश्त में बाधा एवं अवरोध उत्पन्न करते चले आ रहे हैं तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 2 गलत इन्द्राज के आधार पर वाद वर्णित आराजी को बेचान, हस्तान्तरण एवं खुर्दबुर्द करने की वादीगण को ऐलानियां धमकियां देते चले आ रहे हैं, जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना निहायत आवश्यक हो गया है, जिससे वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। वाद वर्णित आराजी बाबत् वादीगण का रिकोर्डेड प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण साबित होता है यदि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 बेचान की गयी आराजी को पुनः बेचान हस्तान्तरण करने के अवैध कृत्य में सफल हो जाते हैं तो वादीगण को काफी अजहद नुकसान उठाना पडेगा एवं वादीगण को अनेकानेक वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा एवं अपूरणीय क्षति उठानी पड़ेगी, जिसकी धन से पूर्ति नहीं की जा सकेगी। जिससे वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। वाद का मूल कारण वाद वर्णित आराजी से मृतक हीरा का नाम विलोपित नहीं होने से उसके स्थान पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 का तारीख 09.11.2021 को विरासत नामान्तरण स्वीकृत करने का गलत इन्द्राज हो जाने तथा 09.11.2021 से ही आराजीयात को बेचान हस्तान्तरण करने की प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 द्वारा वादीगण को ऐलानियां धमकियां देने से उत्पन्न हुआ एवं दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। अतः वाद पत्र के पैरा सं.1 में वर्णित आराजी ख.नं. 122 क्षेत्रफल 0.99 हैक्टर बा. 1 बावत् नामान्तरण सं. 1979/09.11.2021 को अवैध एवं प्रभावहीन घोषित कर निरस्त किया जाकर उक्त पर से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 एवं मृतक पुत्र देवा का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया हीरा जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण सं.1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजी खसरा नं. 122 क्षेत्रफल 0.99 हैक्टर बा. 1 में वादीगण के कब्जे, काश्त में किसी प्रकार की बाधा एवं अवरोध उत्पन्न नहीं करें आराजी का दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान, हस्तान्तरण, खुर्दबुर्द दान इत्यादि नहीं करें तथा प्रतिवादी सं. 4 एवं 5 को राजस्व रिकार्ड की

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

यथास्थिति बनाये रखने एवं उक्त आराजीयात बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जवाब सरकार में सरकार द्वारा जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब सरकार निम्नानुसार है:–

1. बिंदु संख्या 1 के कथन पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड अनुसार स्वीकार है।
2. बिंदु संख्या 2 के कथन पत्रावली में संलग्न दस्तावेज के अनुसार स्वीकार है।
3. बिंदु संख्या 3 के कथन पत्रावली में संलग्न निर्णय की प्रति 15.6.15 के अनुसार स्वीकार है शेष कथन वादी सिद्व करे।
4. बिंदु संख्या 4 से 9 के कथन कानूनी है प्रकरण में राजहित प्रभावित नही है।

पत्रावली शहादतवादी में गवाह श्री रंगलाल पी.डब्ल्यू–1 शपथ पत्र पेश कर मुख्य परीक्षा दिलायी गई व ए टू बी हस्ताक्षर कराये गये वादी ने अपने वादपत्र के पक्ष में दस्तावेजात प्रदर्श किये जमाबन्दी 2069–72 प्रदर्श–1, जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 प्रदर्श–2, जमाबन्दी आधार प्रदर्श–3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, वर्किंग जमाबंदी प्रदर्श–6, नामान्तरण संख्या 27 प्रदर्श–7, नामान्तरण संख्या 28 प्रदर्श–8, पेश किये तथा विक्रय पत्र 19.5.1979 एवं विक्रय पत्र 16.1.1995 की फोटो प्रति पेश की है। जिरह एक पक्षीय कार्यवाही होने से शुन्य रहा। बहस सुनी गई।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की बहस पर मनन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहान, व दस्तावेजात का अवलोकन किया अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का दावा डिग्री वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है वाद वर्णित आराजी ग्राम पीपलाज के खसरा नंबर 122 क्षेत्रफल 0.99हैक्टर बारानी 1 बाबत् नामान्तरण संख्या 1979/09.11.2021 को अवैध होने से निरस्त किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का नाम निरोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेंधाज्ञा से पाबंद किया जाता है उक्त वाद वर्णित आराजी ग्राम पीपलाज खसरा नंबर 122 रकबा 0.99 पर वादीगण के कब्जे, काश्त, में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे और न ही दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान हस्तान्तरणर, इत्यादि नही करे। तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः— विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. रामलाल पुत्र श्री छीतर गुर्जर।
2. रामदेव पुत्र श्री छीतर गुर्जर।
निवासी पीपलाज तहसील सावर जिला अजमेर।

——वादीगण

♠ बनाम ♠

1. छोटी पुत्री श्री देवा गुर्जर जाति गुर्जर।
2. बाली पुत्री श्री देवा गुर्जर जाति गुर्जर।
3. भवरलाल पुत्र देवा गुर्जर जाति गुर्जर।
सभी निवासीगण ग्राम पीपलाज तहसील सावर जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सावर जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक महोदय सावर जिला अजमेर।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 88,89,188,209राज.टिनेन्सी एक्ट सपठित धारा 136 राज. भू—राजस्व अधिनियम
मुकदमा नम्बरः— राजस्व वाद /2021 (2021/509)
निर्णय दिनांकः— 25.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी श्री हेमराज कानावत वकील वादी व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सावर हाजिर मुद्दावलाह पेश हाकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है वाद वर्णित आराजी ग्राम पीपलाज के खसरा नंबर 122 क्षेत्रफल 0.99हैक्टर बारानी 1 बाबत् नामान्तरण संख्या 1979/09.11.2021 को अवैध होने से निरस्त किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है उक्त वाद वर्णित आराजी ग्राम पीपलाज खसरा नंबर 122 रकबा 0.99 पर वादीगण के कब्जे, काश्त, में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे और न ही दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान हस्तान्तरणर, इत्यादि नही करे। तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

चीज .....मुवलिक.....बाबत्.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....
.....को अदा करे

वसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 जुलाई 2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	———	———	मुतफरिक	———	———
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट – इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का नाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner